



MESSAGE

It is a matter of great pleasure for me to felicitate all our Passport Issuing Authorities in India and abroad on the occasion of the Passport Seva Divas. The Ministry of External Affairs, in association with the Central Passport Organization, is celebrating this occasion with renewed commitment to provide passport and passport-related services to the citizens in a timely, reliable, accessible, transparent and efficient manner.

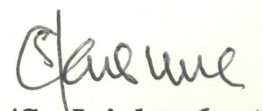
The year 2018 saw the continued growth in passport and passport-related services. More than 1.24 crore passports were issued in India and abroad. The mPassport Seva Mobile App for submission of passport applications and the scheme that allows to apply for passports from anywhere in the country, have contributed to this process. We have continued with the twin objectives of further simplifying the passport rules and expanding our outreach efforts to take passport services nearer to our citizens.

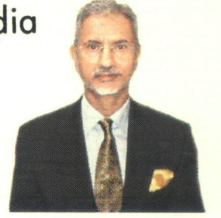
There are 93 Passport Seva Kendras (PSKs) and 412 Post Office Passport Seva Kendras (POPSKs) functioning today, taking the total number of PSKs serving the Public to 505. We have been working closely with the Department of Posts in taking passport services closer to the people by setting-up new POPSKs in far flung places in the country. More than 18,500 appointments are being released daily at these POPSKs. The success of this initiative is borne by the fact that nearly 3 million passport applications have been processed at these POPSKs since they were set up in January 2017.

The process of Police Verification has been simplified and made citizen-friendly. With the concerted efforts of the Ministry of External Affairs and the State police authorities, the average time for police verification has come down to 19 days.

Further, the Ministry has successfully integrated the passport issuance systems in our Missions/Posts in Australia; Bahrain; Canada; Kuwait; Malaysia; Oman; Qatar; Saudi Arabia; Singapore; Sri Lanka; Thailand; United Arab Emirates; United Kingdom and the United States of America into the Passport Seva Project. This is enabling us to deliver passport and related services to our diaspora abroad in a more efficient manner.

I take this opportunity to request all the Passport Issuing Authorities in India and abroad to commit themselves to the mantra of our Government: "Sabka Sath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas", and to continue further enhancing the Performance, Transparency and Delivery of the governance system.


(S. Jaishankar)



संदेश

पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश स्थित सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों का अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहयोग से विदेश मंत्रालय सभी नागरिकों को समयबद्ध, विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने की नई प्रतिबद्धता के साथ इस अवसर को मना रहा है।

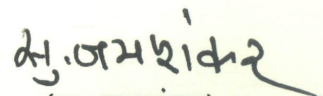
वर्ष 2018 में पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है। भारत और विदेशों में 1.24 करोड़ से भी अधिक पासपोर्ट जारी किए गए। पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए एम-पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप और देश के किसी भी कोने से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर पाने वाली योजना ने इस प्रक्रिया में योगदान किया है। हम पासपोर्ट नियमों को और सरल बनाने तथा पासपोर्ट सेवाओं को हमारे नागरिकों के और करीब पहुंचाने के लिए अपने आउटरीच प्रयासों को निरंतर बढ़ाने के दोहरे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

आज की तारीख में 93 पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) तथा 412 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 505 पीएसके जनता के लिए सेवारत हैं। हम डाक विभाग के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करते रहे हैं ताकि देश के दूर-दराज इलाकों में नए पीओपीएसके स्थापित करके पासपोर्ट सेवाओं को लोगों के करीब लाया जा सके। इन पीओपीएसके पर प्रतिदिन 18,500 से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है। इस पहल की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2017 में इन पीओपीएसके की स्थापना के बाद से लगभग 3 मिलियन पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को सरल किया गया है और इसे नागरिक-अनुकूल बनाया गया है। विदेश मंत्रालय तथा राज्य पुलिस प्राधिकारियों के ठोस प्रयासों से पुलिस सत्यापन के औसत समय को कम करके 19 दिन कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया; बहरीन; कनाडा; कुवैत; मलेशिया; ओमान; कतर; सऊदी अरब; सिंगापुर; श्रीलंका; थाईलैंड; संयुक्त अरब अमीरात; यूनाइटेड किंगडम तथा अमरीका स्थित हमारे मिशन/केन्द्रों में पासपोर्ट जारीकरण प्रणाली को सफलतापूर्वक पासपोर्ट सेवा परियोजना में एकीकृत कर दिया है। इससे हम विदेश में रह रहे हमारे प्रवासियों को अधिक प्रभावी तरीके से पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाएं प्रदान कर पा रहे हैं।

मैं भारत और विदेश में हमारे सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारी सरकार के मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" को ध्यान में रखते हुए शासन प्रणाली के कार्य निष्पादन, पारदर्शिता और सेवा प्रदाय को और विस्तृत करते रहने के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध करें।


(सु. जयशंकर)